न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 78/2015

1 मनी देवी आयु 49 वर्ष पुत्री गीदाराम।
2 पेपी देवी आयु 53 वर्ष पुत्री गीदाराम।
3 रेशमी देवी आयु 45 वर्ष पुत्री गीदाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम दादिया तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 बलदेव आयु 55 वर्ष पुत्र गीदाराम।
2 बृजमोहन पुत्र गीदाराम।
3 हवाई सिंह पुत्र रामेश्वरलाल।
4 रामस्वरूप पुत्र रामेश्वरलाल।
5 बलबीर पुत्र रामेश्वरलाल।
6 सुखी देवी पुत्री गीदाराम।
7 छोटी देवी पुत्री गीदाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम दादिया तहसील व जिला सीकर।
8 सहायक अभियन्ता अजमेर वि.वि.नि.लि. पिपराली मु. सीकर।
9 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा नवलगढ़ रोड़ सीकर।
10 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कटराथल तहसील व जिला सीकर।
11 तहसीलदार तहसील सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2015
न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर व अनुवानी
बलदेव बनाम बृजमोहन आदि मु0 नं0 24/2011 अन्तर्गत
धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री नरेन्द्र कुमार पारिक, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जसवन्त सिंह भूरियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 16.08.21

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा संख्या 24/2011 में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा भूमि खसरा नम्बर 233,845/234,846/234,51,51 वाके ग्राम दोलतपुरा तहसील व जिला सीकर बाबत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया है। दौराने वाद अपीलांट द्वारा आदेश 1 नियम 10 का आवेदन प्रस्तुत कर पक्षकार बनने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस पर अपीलांट को विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 10,11,12 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट की और से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पैतृक है। विरासतन अपीलांट समान हिस्से के अधिकारी है अपीलांट स्व. गीदाराम के वैद्य वारिस व उत्तराधिकारी है विचाराधीन निर्णय में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय ने इस पर कोई विवेचन नही किया है। विचारण न्यायालय ने हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लघन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में ए.आई.आर. सुपरिम कोर्ट 2011 पेज 1542, आर.बी.जे. (19) 2012 पेज 246, 407 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी बलदेव सिंह द्वारा प्रतिवादी बृजमोहन, हवाईसिंह, रामस्वरूप, बलबीर के विरूद्व भूमि खसरा नम्बर 233,845/234,846/234 वाके ग्राम दादिया, खसरा नम्बर 51,52 वाके ग्राम दोलतपुरा की संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 10,11,12 हाल अपीलांट द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के अन्तर्गत विचारण न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर पक्षकार बनाने का निवेदन किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रतिवादी संख्या 10,11,12 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वाद पत्र की मद संख्या 11 की उपमद संख्या 1 लगायत 5 में चाहा गया अनुतोष दिया जाता है तो जवाबदातागण को कोई आपत्ति नही है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा अपने हक अधिकारों की उदघोषणा के सम्बंध में किसी प्रकार का काउन्टर क्लेम प्रस्तुत नही किया गया है एवं न ही पृथक से किसी प्रकार का दावा ही प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय पारित करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही की गई है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में वादी बलदेव सिंह द्वारा प्रतिवादी बृजमोहन, हवाईसिंह, रामस्वरूप, बलबीर के विरूद्व भूमि खसरा नम्बर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

233,845/234,846/234 वाके ग्राम दादिया, खसरा नम्बर 51,52 वाके ग्राम दोलतपुरा की संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 10,11,12 हाल अपीलांट द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के अन्तर्गत विचारण न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर पक्षकार बनाने का निवेदन किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रतिवादी संख्या 10,11,12 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वाद पत्र की मद संख्या 11 की उपमद संख्या 1 लगायत 5 में चाहा गया अनुतोष दिया जाता है तो जवाबदातागण को कोई आपत्ति नही है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा अपने हक अधिकारों की उदघोषणा के सम्बंध में किसी प्रकार का काउन्टर क्लेम प्रस्तुत नही किया गया है एवं न ही पृथक से किसी प्रकार का दावा ही प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय पारित करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.08.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर